न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :–श्री रणजीत कुमार आरएएस
मुकदमा संख्या :– 219/2022
अनवान मुकदमा –

1. देवीलाल पुत्र खिराजराम जाति छिम्पा साकिन गोलूवाला सिहागान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

-- वादी

बनाम

1. दयाराम पुत्र खिराजराम जाति छिम्पा साकिन गोलूवाला सिहागान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. सोहनलाल पुत्र खिराजराम जाति छिम्पा साकिन गोलूवाला सिहागान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. गोपाल पुत्र खिराजराम जाति छिम्पा साकिन गोलूवाला सिहागान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
4. बृजलाल पुत्र खिराजराम जाति छिम्पा साकिन गोलूवाला सिहागान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
5. साहबराम पुत्र खिराजराम जाति छिम्पा साकिन गोलूवाला सिहागान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

-- प्रतिवादीगण

–:वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 49, 53 रा.का.अधि. बाबत घोषणा, विनिमय एवं विभाजन:–

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री हीरालाल बिरथलिया अधिवक्ता --- वादी
2. श्री बलवीर मोयल अधिवक्ता --- प्रतिवादी सं. 1 ता 5
3. राजपैरोकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा --- प्रतिवादी सं. 6

–:: निर्णय :–

दिनांक – 20.06.2022

वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 49, 53 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वाद के पक्षकारो का रजिस्टर्ड पता वही है जो कि वाद पत्र के शीर्षक में अंकित है।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य है जो मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ से शासित होते है तथा परस्पर सहदायिकी एवं सहअंशदायी है। वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 आपस मे सगे भाई है।

वादी के नाम से एकल स्वामित्व की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक 23 जेआरके–बी के खाता सं. 45 के प.नं. 27/241 के किला नं. 6 ता 15, 18 ता 20 की कुल 3.289 हैक. भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र की गई है।

प्रतिवादी सं. 1 के नाम से एकल स्वामित्व की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक 23 जेआरके–बी के खाता सं. ... के प.नं. 28/240 के किला नं. 25/1, 25/2, प.नं. 29/241 के किला नं. 1, 2, ... ता 12, 19 ता 22 कुल 2.783 हैक. व चक 23 जेआरके–बी के खाता सं. 43 के प.नं. 28/241 के किला नं.

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.27 17:32:06 IST
Reason: SelfAttested

20.06.2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

5/1, 5/2 की 0.253 हैक. मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र की गई है।

प्रतिवादी सं. 2 के नाम से एकल स्वामित्व की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक 23 जेआरके-बी के खाता सं. 136 के प.नं. 27/242 के किला नं. 1/1 ता 5/2, 6 ता 10, प.नं. 28/242 के किला नं. 1/1 ता 6/2,7 ता 10 कुल तादादी 5.060 हैक. मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र की गई है।

प्रतिवादी सं. 3 के नाम से एकल स्वामित्व की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक 23 जेआरके-बी के खाता सं. 34 के प.नं. 28/241 के किला नं. 1/1 ता 4/2, 16/1, 16/2, 17, 18, 21 ता 24, 25/1, 25/2 कुल तादादी 3.036 हैक. मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र की गई है।

प्रतिवादी सं. 4 के नाम से एकल स्वामित्व की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक 23 जेआरके-बी के खाता सं. 67 के प.नं. 27/241 के किला नं. 1 ता 5, 16, 17, 21 ता 25 की कुल 3.036 हैक. मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र की गई है।

प्रतिवादी सं. 5 के नाम से एकल स्वामित्व की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक 23 जेआरके-बी के खाता सं. 126 के प.नं. 28/241 के किला नं. 6/1, 6/2, 7 ता 14, 15/1, 15/2, 19, 20 कुल 3.036 हैक. मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र की गई हैं।

प्रतिवादी सं. 1, 3, 4 के नाम से संयुक्त खाता की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक 23 जेआरके-बी के खाता सं. 44 के प.नं. 27/242 के किला नं. 16, 17/1, 23 ता 25, प.नं. 28/242 के किला नं. 18 ता 24 कुल तादादी 2.909 हैक. मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र की गई है।

वाद पत्र की दफा 3 ता 9 मे वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के नाम वर्णित कृषि भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की पैतृक कृषि भूमि है। वादग्रस्त रकबा अलग-अलग चक मे दर्ज होने तथा काश्त करने मे काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है इसलिए वादग्रस्त रकबा काश्त की सुविधा अनुसार एवं भूमि का एकीकरण करने के लिए वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 ने बिना किसी प्रतिफल के आपसी घरू बंटवारा एवं तबादला किया जो निम्न प्रकार से है:-

क. वादी देवीलाल को घरू बंटवारा मे प्राप्त कृषि भूमिः-

चक	प.नं.	किला	तादादी
23 जेआरके-बी	28/242	4/1/.132, 4/2/.015 रास्ता, 5, 6, 7/.147, 18 ता 24	2.571 हैक.
	27/242	16, 17/.126, 23 ता 25	1.138 हैक.
		कुल तादादी	3.709 हैक.

ख. प्रतिवादी सं. 1 दयाराम को घरू बंटवारा मे प्राप्त

चक	प.नं.	किला	तादादी
23 जेआरके-बी	28/242	1, 2, 3/1/.131, 3/2/.014रास्ता, 8/.145, 9, 10	1.302 हैक.
	27/242	1 ता 10	2.530 हैक..

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.27 17:52:06 IST
Reason: SelfAttested

20.06.2022
सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

		कुल तादादी	3.832 हैक.

ग. प्रतिवादी सं. 2 सोहनलाल को घरू बंटवारा मे प्राप्त भूमिः–

चक	प.नं.	किला	तादादी
23 जेआरके–बी	28/241	1 ता 3, 4/.026, 4/2/.003रास्ता 7/.029, 8 ता 10	1.576 हैक.
	27/241	1 ता 11, 12/.073, 19/.052, 20/.175	3.083 हैक.
		कुल तादादी	4.659 हैक.

घ. प्रतिवादी सं. 3 गोपालराम को घरू बंटवारा मे प्राप्त भूमिः–

चक	प.नं.	किला	तादादी
23 जेआरके–बी	28/241	5, 6, 4/1/.202, 4/2/.022 रास्ता, 7/.224	0.954 हैक.
23 जेआरके–ए	29/241	1 ता 10	2.530 हैक.
	28/240	25	0.253 हैक.
		कुल तादादी	2.783 हैक

ड़ प्रतिवादी सं. 4 बृजलाल को घरू बंटवारा मे प्राप्त कृषि भूमिः–

चक	प.नं.	किला	तादादी
23 जेआरके–बी	27/241	16/2/.078, 17/2/.078, 18/2/.078, 19/2/.078, 20/2/.078, 21 ता 25	1.655 हैक.
	28/241	16/3/.067, 16/4/.012रास्ता, 17/2/.079, 18/2/.078, 19/2/.078, 20/2/.075, 21/2/.240, 22 ता 25	1.641 हैक.
	28/242	3/3/.097, 3/4/.011रास्ता, 4/3/.096, 4/4/.010 रास्ता, 7/2/.106, 8/2/.108	0.428 हैक.
		कुल तादादी	3.724 हैक.

च. प्रतिवादी सं. 5 साहबराम को घरू बंटवारा मे प्राप्त कृषि भूमिः–

चक	प.नं.	किला	तादादी
23 जेआरके–बी	27/241	12/.180, 13 ता 15, 16/.175, 17/.175, 18/1/.175, 19/.123	1.587 हैक.
	28/241	11 ता 15, 16/1/.148, 16/2/.026रास्ता, 17/1/.174, 18/1/.175, 19/1/.175, 20/1/.178, 21/1/.013	2.154 हैक.
		कुल तादादी	3.741 हैक.

वाद पत्र की दफा 10 की उप दफा [illegible] वर्णित कृषि भूमि अनुसार वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 का[illegible] राजस्व अभिलेख मे वादग्रस्त रकबा मुताबिक घरू बंटवारा एवं तबादला [illegible]सार दर्ज नहीं होने से वादी की हकूक खातेदारी पर विपरित असर पड़ता है इसलिए [illegible] वाद पत्र की दफा 10 की उप दफा क से च मे वर्णित कृषि भूमि अनुसार घोषणा करवाने, खाता तकसीम एवं विनिमय करवाने का अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.27 17:52:06 IST
Reason: SelfAttested

20.06.2022

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन किया गया है कि वाद वादी निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :–

क. कि घोषित किया जावे वाद पत्र की दफा 10 "क से च" मे वर्णित कृषि भूमि अनुसार बादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 खातेदार काश्तकार है।

ख. कि मुताबिक अनुतोष "क" वादग्रस्त रकबा का आपसी खाता विभाजन एवं विनिमय किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 5 मय अधिवक्तागण न्यायालय में हाजिर आये। उभयपक्ष के वकीलों द्वारा पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित तहरीरशुदा राजीनामा अदालत हाजा के समक्ष पेश किया और प्रार्थना की गई कि दोनो पक्षों में राजीनामा हो चुका है। राजीनामा तस्दीक फरमाया जाकर वाद को डिक्री फरमाया जावे। प्रस्तुत राजीनामा पर उभयपक्ष की पहचान जरिये अधिवक्ता व जरिये दस्तावेज की गई। पहचान सिद्ध होने पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया।बहस उभयपक्ष सुनी गयी। जवाब स्टेट प्राप्त हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया।

इस सम्बंध में आरआरडी 1981 पेज 512 आरटीए की धारा 40-53, 38-39-40, आरआरडी 1966 पेज 71 एआईआर 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आरआरडी पेज 219 आरआरडी 1975-478, एआईआर 1966 (एससी) 432 आरआरडी 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आरटीए की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवन्यु) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवं आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौते के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप-6) विभाग जयपुर के पत्रांक प. 5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषको में जोत के विभाजन की सहमति हो जाये तो ऐसी सहमति के आधार पर डिक्री की जा सकती है।

एआईआर 1976 एससी 807 के अनुसार यदि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 49(1) मे स्पष्ट है कि कोई खातेदार अभिधारी जो ऐसे किसी क्षेत्र का जिसे वह जोतता है, समेकन करना चाहे तो वह सहायक कलेक्टर से उस भूमि के जसे वह जोतता है किसी भाग का किसी अन्य खातेदार अभिधारी द्वारा जोती जाने वाले भूमि से विनिमय करने के लिए आवेदन कर सकेगा।

–:: आदेश ::–

विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर [illegible] गया। वादी एवं प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अवलोकन किया [illegible] का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वाद मे वर्णित कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 5 की पैतृक खातेदारी भूमि है जो जद्दी जायदाद होने [illegible] कारण उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार लोक अदालत की भावना से वाद वादी स्वीकार किया जाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.27 17:32:06 IST
Reason: SelfAttested

20.06.2022

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

न्यायोचित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 49, 53 के अन्तर्गत वाद में वर्णित भूमि का निम्नानुसार विनिमय एवं खाता विभाजन किया जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है–

क. वादी देवीलालः–

चक	प.नं.	किला	तादादी
23 जेआरके–बी	28/242	4/1/.132, 4/2/.015 रास्ता, 5, 6, 7/.147, 18 ता 24	2.571 हैक.
	27/242	16, 17/.126, 23 ता 25	1.138 हैक.
		कुल तादादी	3.709 हैक.

ख. प्रतिवादी सं. 1 दयारामः–

चक	प.नं.	किला	तादादी
23 जेआरके–बी	28/242	1, 2, 3/1/.131, 3/2/.014रास्ता, 8/.145, 9, 10	1.302 हैक.
	27/242	1 ता 10	2.530 हैक..
		कुल तादादी	3.832 हैक.

ग. प्रतिवादी सं. 2 सोहनलालः–

चक	प.नं.	किला	तादादी
23 जेआरके–बी	28/241	1 ता 3, 4/.026, 4/2/.003रास्ता 7/.029, 8 ता 10	1.576 हैक.
	27/241	1 ता 11, 12/.073, 19/.052, 20/.175	3.083 हैक.
		कुल तादादी	4.659 हैक.

घ. प्रतिवादी सं. 3 गोपालरामः–

चक	प.नं.	किला	तादादी
23 जेआरके–बी	28/241	5, 6, 4/1/.202, 4/2/.022 रास्ता, 7/.224	0.954 हैक.
23 जेआरके–ए	29/241	1 ता 10	2.530 हैक.
	28/240	25	0.253 हैक.
		कुल तादादी	2.783 हैक

ड़ प्रतिवादी सं. 4 बृजलालः–

चक	प.नं.	किला	तादादी
23 जेआरके–बी	27/241	16/2/.078, 17/2/.078, 18/2/.078, 19/2/.078, 20/2/.078, 21 ता 25	1.655 हैक.
	28/241	16/3/.067, 16/4/.012रास्ता, 17/2/.07[illegible].078, 19/2/.078, 20/2/.07[illegible] 21/2[illegible]0, 22 ता 25	1.641 हैक.
	28/242	3/3/.09[illegible] रास्ता, 4/3/.096, 4/[illegible]10 रास्ता, 7/2/.106, 8/2/.108	0.428 हैक.
		कुल तादादी	3.724 हैक.

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.27 17:52:06 IST
Reason: SelfAttested

(हस्ताक्षर) 20.06.2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

च. प्रतिवादी सं. 5 साहबराम:–

चक	प.नं.	किला	तादादी
23 जेआरके–बी	27/241	12/.180, 13 ता 15, 16/.175, 17/.175, 18/1/.175, 19/.123	1.587 हैक.
	28/241	11 ता 15, 16/1/.148, 16/2/.026रास्ता, 17/1/.174, 18/1/.175, 19/1/.175, 20/1/.178, 21/1/.013	2.154 हैक.
		कुल तादादी	3.741 हैक.

तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद किया जावे। आदेशानुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

20.06.2022

(रणजीतसकुमार RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.27 17:52:06 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्में इब्तदाई
(आ0-20 रूल 6, 7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- रणजीत कुमार आर.ए.एस

मुकदमा संख्या :- 219/2022

अनवान मुकदमा –

1. देवीलाल पुत्र खिराजराम जाति छिम्पा साकिन गोलूवाला सिहागान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

-- वादी

बनाम

1. दयाराम पुत्र खिराजराम जाति छिम्पा साकिन गोलूवाला सिहागान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. सोहनलाल पुत्र खिराजराम जाति छिम्पा साकिन गोलूवाला सिहागान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. गोपाल पुत्र खिराजराम जाति छिम्पा साकिन गोलूवाला सिहागान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
4. बृजलाल पुत्र खिराजराम जाति छिम्पा साकिन गोलूवाला सिहागान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
5. साहबराम पुत्र खिराजराम जाति छिम्पा साकिन गोलूवाला सिहागान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

-- प्रतिवादीगण

-: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 49, 53 रा.का.अधि. बाबत घोषणा, विनिमय एवं खाता विभाजन:-

-:: निर्णय ::-

दिनांक – 20.06.2022

वादी की ओर से श्री हीरालाल बिरथलिया अधिवक्ता एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 की ओर श्री बलवीर मोयल, अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक को रणजीत कुमार आरएएस उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा एवं पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 49, 53 के अन्तर्गत वाद में वर्णित भूमि का निम्नानुसार विनिमय एवं खाता विभाजन किया जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है-

क. वादी देवीलाल:-

चक	प.नं.	किला	तादादी
23 जेआरके-बी	28/242	4/1/.132, 4/2/.015 रास्ता, 5, 6, 7/.147, 18 ता [illegible]	2.571 हैक.
	27/242	16, 17/.126 [illegible]	1.138 हैक.
		कुल [illegible]	3.709 हैक.

ख. प्रतिवादी सं. 1 दयाराम:-

चक	प.नं.	किला	तादादी
23 जेआरके-बी	28/242	1, 2, 3/1/.131, 3/2/.014रास्ता, 8/.145, 9, 10	1.302 हैक.

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.27 17:[illegible]:06 IST
Reason: SelfAttested

20.06.2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

	27/242	1 ता 10	2.530 हैक..
		कुल तादादी	3.832 हैक.

ग. प्रतिवादी सं. 2 सोहनलाल:-

चक	प.नं.	किला	तादादी
23 जेआरके-बी	28/241	1 ता 3, 4/.026, 4/2/.003रास्ता 7/.029, 8 ता 10	1.576 हैक.
	27/241	1 ता 11, 12/.073, 19/.052, 20/.175	3.083 हैक.
		कुल तादादी	4.659 हैक.

घ. प्रतिवादी सं. 3 गोपालराम:-

चक	प.नं.	किला	तादादी
23 जेआरके-बी	28/241	5, 6, 4/1/.202, 4/2/.022 रास्ता, 7/.224	0.954 हैक.
23 जेआरके-ए	29/241	1 ता 10	2.530 हैक.
	28/240	25	0.253 हैक.
		कुल तादादी	2.783 हैक

ड़ प्रतिवादी सं. 4 बृजलाल:-

चक	प.नं.	किला	तादादी
23 जेआरके-बी	27/241	16/2/.078, 17/2/.078, 18/2/.078, 19/2/.078, 20/2/.078, 21 ता 25	1.655 हैक.
	28/241	16/3/.067, 16/4/.012रास्ता, 17/2/.079, 18/2/.078, 19/2/.078, 20/2/.075, 21/2/.240, 22 ता 25	1.641 हैक.
	28/242	3/3/.097, 3/4/.011रास्ता, 4/3/.096, 4/4/.010 रास्ता, 7/2/.106, 8/2/.108	0.428 हैक.
		कुल तादादी	3.724 हैक.

च. प्रतिवादी सं. 5 साहबराम:-

चक	प.नं.	किला	तादादी
23 जेआरके-बी	27/241	12/.180, 13 ता 15, 16/.175, 17/.175, 18/1/.175, 19/.123	1.587 हैक.
	28/241	11 ता 15, 16/1/.148, 16/2/.026रास्ता, 17/1/.174, 18/1/.175, 19/1/.175, 20/1/.178, [illegible]	2.154 हैक.
		कुल तादादी	3.741 हैक.

तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि पर किसी अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अकंन किया जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफतर दाखिल हो।

20.06.2022

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.27 17:52:06 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 20.06.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20.06.2022

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.27 17:52:06 IST
Reason: SelfAttested